जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 30.03.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत केनौना कुथिया पेट्रोप पम्प से कालर द्वारा खड़ी ट्रेलर में पीछे से ट्रक का टक्कर हो के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1. मो0इमरान पुत्र खालीद ग्राम अयोध्या भरतकुण्ड जनपद अयोध्या) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बस्ती भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध मे थाना- को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु जिला अस्पताल बस्ती भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ- आ0 सुधीर तिवारी, आ0 आशीष शुक्ला, मु0आ0चा0 राजनाथ यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 120 वाहनों से 1,31,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 120 वाहनों से 1,31,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 137/2025 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता कुलदीप यादव पुत्र रणजीत यादव निवासी छपरा मगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 30.03.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 28.03.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 30.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्री रामकृष्ण मिश्र, हे0क0 प्रमोद कुमार राय, आनन्द दूबे, का0 सत्यम सिंह द्वितीय, का0 विनय सिंह ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस के डण्डे के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 102/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता विक्रम त्रिपाठी उर्फ कन्हैया पुत्र हनुमान प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम बूंदीपार वार्ड नम्बर 03 कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 30.03.2025 को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

विक्रम त्रिपाठी उर्फ कन्हैया पुत्र हनुमान प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम बूंदीपार वार्ड नम्बर 03 कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर **।**

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 30.03.2025 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 29.03.2025 को रात्रि लगभग 12:00 बजे वादिनी के पति को सोते समय डण्डे से प्रहार कर घायल कर दिया था, जिनका इलाज के दौरान जिला अस्पताल खलीलाबाद में मृत्यु हो गयी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 30.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद बांस का डण्डा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, अपराध निरी0 श्री दयानन्द यादव, हे0का0 अरविन्द कुमार तिवारी, का0 प्रमोद कुमार शर्मा, म0का0 प्रियंका गोंड।